उत्तराखण्ड वन विकास निगम

(प्रधान कार्यालय प्रबन्ध निदेशक)

अरण्य विकास भवन, 73 नेहरू रोड़, देहरादून 248001 दूरभाष 0135–2657610, फैक्स 0135–2655488

पत्रांक ए0 – 5030 / 22–2–18 / रायल्टी निर्धारण (2023–24) / दिनांकः 22/08/2024

(ई–मेल द्वारा)

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषयः– वर्ष 2023–24 की रायल्टी रायल्टी दरों का निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वन विभाग द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम को आवंटित वृक्ष लौटों की रायल्टी निर्धारण हेतु उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या–507 / X-3-2013-8(27)2010 दिनांक 26.6.2013 में दी गयी निहित प्रक्रियानुसार वर्ष 2021–22 एंव 2022–23, विगत 02 वर्षों के प्रजातिवार विक्रय मूल्य के आंकड़े अंकेक्षित बैलेन्शीट के अनुसार उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा **वर्ष 2023–24** की रायल्टी निर्धारण हेतु संलग्न कर निम्न विवरणानुसार प्रेषित किये जा रहे हैं:–

(अ) सारणी–1 पश्चिमी वृत्त (खटीमा एवं सुरई रेंज सहित)।
सारणी–2 उत्तरी एवं दक्षिणी कुमाँऊ वृत्त।
सारणी–3 शिवालिक वृत्त।
सारणी–4 गढ़वाल / भागीरथी / यमुना वृत्त।
सारणी–5 कोमल काष्ठ प्रजातियों की रायल्टी दर (सम्पूर्ण राज्य हेतु)।
सारणी–6 यूकेलिप्टस की रायल्टी दर (सम्पूर्ण राज्य हेतु)।
सारणी–7 चीड़ गुलिया की रायल्टी दर (सम्पूर्ण राज्य हेतु)।
सारणी–8 चीड़ फर्राटा की रायल्टी दर (सम्पूर्ण राज्य हेतु)।

(ब)
1. उत्तराखण्ड वन विकास निगम के **वर्ष 2022–23 में क्षेत्रवार, प्रजातिवार विक्रय का विवरण।**
2. वन विभाग के वृत्तवार औसत विक्रय दर का वर्ष, 2021–22 एवं 2022–23 का तुलनात्मक विवरण।
3. कोमल काष्ठ का औसत विक्रय दर का वर्ष, 2021–22 एवं 2022–23 का तुलनात्मक विवरण।
4. आपकी पत्र संख्या–160 / 8–2(25) रायल्टी निर्धारण / 2022–23, दिनांक 28.08.2023 द्वारा जारी कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–11 के iii से v के कम में **रायल्टी निर्धारण प्रकिया में संशोधन करने एवं बाजार सर्वेक्षण हेतु चयनित एजेन्सी भारतीय प्रबन्ध संस्थान (IIM), काशीपुर** के माध्यम से प्रश्नगत कार्य कराया जाना है। **वर्तमान में** उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या–4888 / 14–4–83–1(7) / 76, दिनांक 20.09.1983, शासनादेश संख्या–2977 / 14–4–89–1(7) / 76,दिनांक 31.10.1989 एवं

उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–507/ग–3–2013–8(27)/2010, दिनांक 26.06.2013 (संलग्न) द्वारा रायल्टी निर्धारण हेतु निर्धारित निहित प्रक्रिया के अनुसार किये जाने का प्राविधान है। जिसके आधार पर रायल्टी निर्धारण समिति द्वारा रायल्टी दरों का निर्धारण किया जाता रहा है।

5. आपकी पत्र संख्या–428/8–2(25), दिनांक 06.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि चयनित एजेन्सी द्वारा **रायल्टी निर्धारण प्रकिया में संशोधन करने एवं बाजार सर्वेक्षण हेतु लगभग 09 माह की अवधि** एवं रू0 28.45 लाख अनुमानित लागत लगने आदि के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। **जिसके कम में रू0 28.45 लाख का चैक संख्या–772167 दिनांक 27.02.2024 भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून से जारी कर आपको उपलब्ध करा दिया गया है।**

6. भारतीय प्रबन्ध संस्थान (IIM), काशीपुर द्वारा रायल्टी दरों के निर्धारण प्रक्रिया में संशोधन एवं बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट यदि निर्धारित समय से प्राप्त होती है तो उसे रायल्टी निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए समिति की संस्तुति के उपरान्त उत्तराखण्ड शासन को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा। जिसमें लगभग 01 वर्ष से अधिक का समय लगने की सम्भावना है। **उचित होगा कि वर्तमान में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–507/X-3-2013-8(27)2010 दिनांक 26.6.2013 द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार गतवर्षों की भॉति वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 की प्रजातिवार रायल्टी दरों का निर्धारण समिति से करवाने का कष्ट करें।**

वर्ष 2023–24 की रायल्टी निर्धारण हेतु संलग्न विवरण को वन विकास निगम की वैबसाईट uafdc.in से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अतः अनुरोध है कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–507/X-3-2013-8(27)2010 दिनांक 26.6.2013 के अनुसार एवं उत्तर प्रदेश शासन से पूर्व में निर्गत शासनादेशों में निहित प्रक्रियानुसार **विगत 02 वर्षों में हुई कमी/वृद्धि का संज्ञान लेते हुए कॉलम संख्या–06 में प्रस्तावित रायल्टी दर के अनुसार वर्ष 2023–24 की रायल्टी निर्धारण हेतु वृत्तवार विवरण निर्धारित प्रारूप में** इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि **रायल्टी निर्धारण हेतु बैठक की तिथि एवं समय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून से निर्धारित करवाकर सूचित करने का कष्ट करें।**

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक ए0:–5030 /तद्‌दिनॉकित।

प्रतिलिपिः–उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–507/X-3-2013-8(27)2010दिनांक 26.6.2013 के कम में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड।
2. सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) उत्तराखण्ड।
4. वित्त नियंत्रक, वन निगम, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाईल।

संलग्नक :– यथोपरि

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रबन्ध निदेशक

सारणी–1

पश्चिमी वृत्त (खटीमा सुरई रेंज सहित)

क्र0सं0	प्रजाति	माप इकाई	वर्ष 2022–23 की प्रस्तावित रायल्टी दर का Weighted Average प्रति इकाई (रू0 में)	विगत 02 वर्ष में हुई वृद्धि/कमी का प्रतिशत	वर्ष 2023–24 हेतु प्रस्तावित रायल्टी दर प्रति इकाई (रू0 में)
1	*2*	*3*	*6*	*5*	*6*
1-	साल	घ0मी0	**41414**	**-12.19**	**36366**
2-	शीशम	घ0मी0	**30175**	**17.51**	**35459**
3-	सागौन	घ0मी0	**32110**	**21.47**	**39004**
4-	असना/सैन	घ0मी0	**10646**	**21.87**	**12974**
5-	सॉदन	घ0मी0	**14293**	**-11.28**	**12681**
6-	खैर	घ0मी0	**31859**	**10.17**	**35099**
7-	कोकाट	घ0मी0	**5561**	**56.47**	**8701**
8-	जामुन	घ0मी0	**6603**	**3.98**	**6866**
9-	चीड़	घ0मी0	**4632**	**19.09**	**5516**
10-	बॉस	कौड़ी	**90**	-	**90**

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

सारणी–2

उत्तरी एवं दक्षिणी कुमायूँ वृत्तः

क्र0 सं0	प्रजाति	माप इकाई	वर्ष 2022–23 हेतु निर्धारित प्रस्तावित रायल्टी दर प्रति इकाई (रू0 में)	विगत 02 वर्ष में हुई वृद्धि/कमी का प्रतिशत	वर्ष 2023–24 हेतु प्रस्तावित रायल्टी दर प्रति इकाई (रू0 में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1-	चीड़	घ0मी0	**4627**	**19.09**	**5510**
2-	देवदार	घ0मी0	**6777**	**24.02**	**8405**
3-	कैल	घ0मी0	**340**	**-**	**340**
4-	सुरई	घ0मी0	**1815**	**3.81**	**1884**
5-	फर	घ0मी0	**922**	**-**	**922**
6-	साल	घ0मी0	**26357**	**-12.19**	**23144**
7-	शीशम	घ0मी0	**26857**	**17.51**	**31560**
8-	जामुन	घ0मी0	**4144**	**3.98**	**4309**
9-	सॉदन	घ0मी0	**4639**	**-11.28**	**4116**
10-	असना/सैन	घ0मी0	**3854**	**21.87**	**4697**
11-	खैर	घ0मी0	**27046**	**10.17**	**29797**
12-	कोकाट	घ0मी0	**2759**	**56.47**	**4317**
13-	पेंचदार चीड़	घ0मी0	**2105**	**19.09**	**2507**
14-	अखरोट	घ0मी0	**16995**	**-**	**16995**
15-	बांज,खर्सू, मौरू, फलयाट, तिलोज, कटीज, मवा, अंयार, बुरांस आदि प्रजाति जिनसे केवल जलौनी का ही उत्पादन होता है	घ0मी0	**1052**	**-**	**1052**
16-	सागौन	घ0मी0	**20695**	**21.47**	**25138**

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
देहरादून

सारणी– 3

शिवालिक वृत्त :

क्र0 सं0	प्रजाति	माप इकाई	वर्ष 2022–23 हेतु निर्धारित प्रस्तावित रायल्टी दर प्रति इकाई (रू0 में)	विगत 02 वर्ष में हुई वृद्धि/कमी का प्रतिशत	वर्ष 2023–24 हेतु प्रस्तावित रायल्टी दर प्रति इकाई (रू0 में)
1	2	3	4	5	6
1-	चीड़	घ0 मी0	**3058**	**31.49**	**4021**
2-	देवदार	घ0 मी0	**4424**	**28.13**	**5668**
3-	कैल	घ0 मी0	**4179**	**29.01**	**5391**
4-	फर	घ0 मी0	**2037**	**26.10**	**2569**
5-	सुरई	घ0 मी0	**18**	**28.56**	**23**
6-	बॉस	कौड़ी	**92**	**-**	**92**
7-	साल	घ0 मी0	**22401**	**14.02**	**25542**
8-	शीशम	घ0 मी0	**21377**	**-1.86**	**20979**
9-	सागौन	घ0 मी0	**14632**	**-3.57**	**14110**
10-	जामुन	घ0 मी0	**4657**	**46.05**	**6802**
11-	सॉदन	घ0 मी0	**7254**	**-7.58**	**6704**
12-	असना/सैन	घ0 मी0	**8004**	**-3.22**	**7746**
13-	खैर	घ0 मी0	**30482**	**-16.89**	**25334**
14-	कोकाट	घ0 मी0	**5849**	**29.70**	**7586**
15-	आम	घ0मी0	**8111**	**-**	**8111**
16-	बबूल	घ0मी0	**5902**	**-**	**5902**
17-	प्रोसिपिस	घ0मी0	**5040**	**-**	**5040**
18-	नीम	घ0मी0	**7921**	**-**	**7921**
19-	पीपल	घ0मी0	**7627**	**-**	**7627**

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

सारणी – 4

गढ़वाल/भागीरथी/यमुना वृत्तः

क्र0 सं0	प्रजाति	माप इकाई	वर्ष 2022–23 हेतु निर्धारित प्रस्तावित रायल्टी दर प्रति इकाई (रू0 में)	विगत 02 वर्ष में हुई वृद्धि/कमी का प्रतिशत	वर्ष 2023–24 हेतु प्रस्तावित रायल्टी दर प्रति इकाई (रू0 में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1-	चीड़	घ0मी0	3058	31.49	4021
2-	देवदार	घ0मी0	4424	28.13	5669
3-	कैल	घ0मी0	4179	29.01	5391
4-	फर	घ0मी0	2037	26.10	2569
5-	सुरई	घ0मी0	18	28.56	23
6-	साल	घ0मी0	22395	14.02	25535
7-	शीशम	घ0मी0	21377	-1.86	20979
8-	सागौन	घ0मी0	14632	-3.57	14110
9-	जामुन	घ0मी0	4657	46.05	6802
10-	सॉदन	घ0मी0	7193	-7.58	6648
11-	असना/सैन	घ0मी0	8004	-3.22	7746
12-	खैर	घ0मी0	30482	-16.89	25334
13-	कोकाट	घ0मी0	5849	29.70	7586
14-	बांज, खर्सू, मौरू, फलयाट, तिलोज, कटीज, मवा, अंयार, बुरांस आदि प्रजाति जिनसे केवल जलौनी का ही उत्पादन होता है	घ0मी0	1620	-	1620
15-	बॉस	कौड़ी	92	-	92
16-	आम	घ0मी0	8111	-	8111
17-	बबूल	घ0मी0	5902	-	5902
18-	प्रोसिपिस	घ0मी0	5040	-	5040
19-	नीम	घ0मी0	7921	-	7921
20-	पीपल	घ0मी0	7627	-	7627

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

UNIYAL SIR\ROYALTY NIRDHARAN\Royalty Nirdharan 2020-21

सारणी–5

कोमल काष्ठ प्रजातियों के रायल्टी दर (सम्पूर्ण राज्य हेतु)

क्र0 सं0	प्रजाति	माप इकाई	वर्ष 2022–23 हेतु निर्धारित प्रस्तावित रायल्टी दर प्रति इकाई (रू0 में)	विगत 02 वर्ष में हुई वृद्धि/कमी का प्रतिशत	वर्ष 2023–24 हेतु प्रस्तावित रायल्टी दर प्रति इकाई (रू0 में)
1	2	3	4	5	6
1.	हल्दू	घ0 मी0	15334	9.23	16749
2.	फल्दू	घ0 मी0	6071	36.49	8286
3.	कन्जू	घ0 मी0	3588	17.27	4208
4.	पापुलर	घ0 मी0	5914	-47.22	3121
5.	सेमल	घ0 मी0	3014	23.83	3732
6.	एलन्थस	घ0 मी0	803	131.90	1862
7.	मलवरी	घ0 मी0	4134	-	4134
8.	गुटेल	घ0 मी0	1247	23.59	1541
9.	तुन	घ0 मी0	15749	26.87	19981
10.	सीरस	घ0 मी0	8527	3.15	8796
11.	बाकुली	घ0 मी0	9179	25.27	11499
12.	बहेड़ा	घ0 मी0	1144	32.75	1519
13.	झींगन	घ0 मी0	1599	51.71	2426
14.	बौरंग	घ0 मी0	1373	140.67	3304
15.	बरगद	घ0 मी0	130	-	130
16.	ढाक	घ0 मी0	6190	-27.02	4517
17.	खरपट	घ0 मी0	11507	26.90	14602
18.	पेपर मलवरी	घ0 मी0	904	69.67	1534
19.	गोजिना	घ0 मी0	560	55.91	873
20.	गूलर	घ0 मी0	608	38.85	844
21.	पूला	घ0 मी0	952	130.57	2195
"ख"					
22.	पुतली	घ0 मी0	2116	-	2116
23.	मैपल	घ0 मी0	2116	-	2116
24.	ऊतीस	घ0 मी0	2116	-	2116
25.	अंगू	घ0 मी0	2116	-	2116

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

सारणी–6

शासनादेश संख्या 133/14–2–95–500441/1993 दिनांक 27 मार्च 1995 के अनुसार
वर्ष 2023–24 हेतु यूकेलिप्टस की रायल्टी निर्धारण गणनाः–

क्र. सं.	वर्ष	वर्ष 2022–23 में वन निगम द्वारा प्राप्त औसत विक्रय मूल्य (रू0 में)		विक्रय मूल्य का 55 प्रतिशत रायल्टी के रूप में वन विभाग को देय (रू0 में)	
		प्रति घ0मी0 (क्वाटर गर्थ)	प्रति वाल्यूम मीट्रिक टन	प्रति वाल्यूम मीट्रिक टन	प्रति घ0मी0 (सिलिन्ड्रकल आयतन)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	2023-24	8949.06	9,960.30	5,478.16	**3,869.00**

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

सारणी–7

चीड़ गुलिया की रायल्टी दर (सम्पूर्ण राज्य हेतु)

क्र0 सं0	प्रजाति	माप इकाई	वर्ष 2022–23 हेतु निर्धारित प्रस्तावित रायल्टी दर प्रति इकाई (रू0 में)	विगत 02 वर्ष में हुई वृद्धि/कमी का प्रतिशत	वर्ष 2023–24 हेतु प्रस्तावित रायल्टी दर प्रति इकाई (रू0 में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	चीड़ गुलिया	घ0 मी0	**2193.00**	**-7.70**	**2024**

सारणी–8

चीड़ फर्राटा रायल्टी दर (सम्पूर्ण राज्य हेतु)

क्र0 सं0	प्रजाति	माप इकाई	वर्ष 2022–23 हेतु निर्धारित प्रस्तावित रायल्टी दर प्रति इकाई (रू0 में)	विगत 02 वर्ष में हुई वृद्धि/कमी का प्रतिशत	वर्ष 2023–24 हेतु प्रस्तावित रायल्टी दर प्रति इकाई (रू0 में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	चीड़ फर्राटा	घ0 मी0	**1000**	-	**1000**

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

उत्तराखण्ड वन विकास निगम,देहरादून

वर्ष 2022—2023 में क्षेत्रवार, प्रजातिवार बिक्री का विवरण

(मात्रा—घ0मी0 में, धनराशि—रू0 में)

	टिहरी क्षेत्र		गढ़वाल क्षेत्र		पश्चिमी क्षेत्र		कुमाऊँ क्षेत्र		कुल योग		दर प्रति घ0मी0
प्रजाति	मात्रा+STR	धनराशि	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि	
चीड़	7809.7159	63746250.00	4383.4912	35890801.00	4.7609	36350.00	7304.9699	84711205.00	**19502.9379**	**184384606.00**	9454.20
देवदार	4023.2097	77074914.00	42.3936	627400.00			475.2906	14845771.00	**4540.8939**	**92548085.00**	20381.03
कैल	3734.3081	58268250.00	345.6179	5065300.00					**4079.9260**	**63333550.00**	15523.21
फर	12149.3266	120848450.00	2178.1262	23676900.00					**14327.4528**	**144525350.00**	10087.30
सुरई	24.8366	242000.00	25.0205	201506.00			38.9553	435763.00	**88.8124**	**879269.00**	9900.30
साल	11411.9315	283944564.00	1330.9711	20371642.00	2286.7369	64375178.00	19349.8748	579138293.00	**34379.5143**	**947829677.00**	27569.61
शीशम	396.9629	7132950.00	497.3013	9841661.00	2492.2157	58857257.00	4630.8361	118331140.00	**8017.3160**	**194163008.00**	24217.96
सागौन	191.3020	7009150.00	206.0258	6213612.00	22145.7168	762858252.00	41894.1663	1592153076.00	**64437.2109**	**2368234090.00**	36752.59
खैर	525.0603	21437770.00	1691.2971	55606800.00	14515.6718	704345817.00	8077.2429	417694669.00	**24809.2721**	**1199085056.00**	48332.13
सैन / असना	737.5534	10272650.00	311.2749	3378050.00	8.9416	111259.00	753.7877	10268835.00	**1811.5576**	**24030794.00**	13265.27
सांदन	19.5638	178720.00	1176.7004	11260100.00	3.8121	36336.00	8.5138	96850.00	**1208.5901**	**11572006.00**	9574.80
जामुन	111.7989	892450.00	297.2663	2384635.00	270.2031	2210821.00	5943.1790	61815211.00	**6622.4473**	**67303117.00**	10162.88
कोकाट	251.5447	1690300.00	837.8737	5423266.00	4761.4737	34395863.00	2721.8247	18684687.00	**8572.7168**	**60194116.00**	7021.59
आम			29.9205	147300.00					**29.9205**	**147300.00**	4923.05
युकेलिप्टस	62.2310	650900.00	2264.1695	22201330.00	38141.1748	347385198.00	11683.1982	96462977.00	**52150.7735**	**466700405.00**	8949.06
पीपल	0.0000	0.00	0.0000	0.00					**0.0000**	**0.00**	#DIV/0!
फर्राटा									**0.0000**	**0.00**	#DIV/0!
चीड़ गुलिया	1252.7225	22067300.00					6.6308	102435.00	**1259.3533**	**22169735.00**	17604.06
बास (कोड़ी में)	406.0000	48720.00							**406.0000**	**48720.00**	120.00
योग	**43108.0679**	**675505338.00**	**15617.4500**	**202290303.00**	**84630.7074**	**1974612331.00**	**102888.4701**	**2994740912.00**	**246244.6954**	**5847148884.00**	

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

संलग्नक–11

उत्तराखण्ड वन विकास निगम,देहरादून

वर्ष 2022–2023 में क्षेत्रवार, प्रजातिवार बिक्री का विवरण

(मात्रा–घ0मी0 में, धनराशि–रू0 में)

	टिहरी क्षेत्र		गढ़वाल क्षेत्र		पश्चिमी क्षेत्र		कुमाऊँ क्षेत्र		कुल योग		दर प्रति घ0मी0
प्रजाति	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि	
जलौनी	2099.8699	2411223.00	2354.3810	2187179.00	26603.5103	22385980.00	24442.1276	19450174.00	**55499.8888**	**46434556.00**	**836.66**
जड़			4539.9072	5776200.00	132008.9838	100052934.00	134568.7930	119548009.00	**271117.6840**	**225377143.00**	**831.29**
कोयला (कु0)					1.5400	2310.00			**1.5400**	**2310.00**	**1500.00**
यू0के0लि0 पत्ती (कु0)									**0.0000**	**0.00**	**#DIV/0!**
थाम, रिंगाल									**0.0000**	**0.00**	**#DIV/0!**
मौंस	129.8600	638960.00							**129.8600**	**638960.00**	**4920.38**
झुला घास	470.6400	9831416.00							**470.6400**	**9831416.00**	**20889.46**
बक्कल					1927.3500	521688.00	148.0000	14060.00	**2075.3500**	**535748.00**	**258.15**
देवदार चिप्स									**0.0000**	**0.00**	**#DIV/0!**
योग	**2700.3699**	**12881599.00**	**6894.2882**	**7963379.00**	**160541.3841**	**122962912.00**	**159158.9206**	**139012243.00**	**329294.9628**	**282820133.00**	**858.87**

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

D:\New Folder2022\All Letter\UNIYAL SIR\ROYALTY NIRDHARAN\Royalty Nirdharan 2024-25\Ryalti Nirdaran 2022-23

उत्तराखण्ड वन विकास निगम,देहरादून
वर्ष 2022–2023 में विक्रय किये गये कोमल काष्ठ का क्षेत्रवार विवरण

(मात्रा–घ0मी0 में, धनराशि–रू0 में)

प्रजाति	टिहरी क्षेत्र		गढ़वाल क्षेत्र		पश्चिमी क्षेत्र		कुमाऊँ क्षेत्र		कुल योग		दर प्रति घ0मी0
	मात्रा+STR	धनराशि	मात्रा+STR	धनराशि	मात्रा+STR	धनराशि	मात्रा+STR	धनराशि	मात्रा+STR	धनराशि	
हल्दू	13.3011	173800.00	68.7401	752219.00	191.7841	2024896.00	309.1692	4152594.00	582.9945	7103509.00	**12184.52**
फल्दू			0.4384	4970.00	30.6174	265813.00	54.6471	514012.00	85.7029	784795.00	**9157.16**
कंजू	165.0441	1362200.00	251.3137	1520415.00	8337.5426	80686079.00	1586.8330	14033655.00	10340.7334	97602349.00	**9438.63**
सेमल	9.4546	54100.00	47.5558	198800.00	3664.5023	27433482.00	3441.4962	23438001.00	7163.0089	51124383.00	**7137.28**
गुटेल	5.0810	23000.00	0.2091	500.00	3494.7324	26894260.00	6390.7683	39667707.00	9890.7908	66585467.00	**6732.07**
तुन	40.3820	723550.00	122.7280	2221790.00	82.7052	1562552.00	259.2818	4303166.00	505.0970	8811058.00	**17444.29**
सीरस	24.6206	380400.00	29.3981	254800.00	889.9082	7247721.00	292.2507	2807714.00	1236.1776	10690635.00	**8648.14**
बाकुली	28.2539	147150.00	77.1229	446500.00	79.8613	594257.00			185.2381	1187907.00	**6412.87**
बहेड़ा	37.7663	155700.00	13.2950	74500.00	32.3630	189694.00	33.3972	168215.00	116.8215	588109.00	**5034.25**
झींगन	14.7175	57850.00	35.3739	118000.00	349.8406	2353691.00	72.9543	263734.00	472.8863	2793275.00	**5906.86**
बरगद					0.6540	1450.00	42.8794	244062.00	43.5334	245512.00	**5639.62**
खरपट	1.1768	5600.00			142.9967	785787.00	20.6879	99283.00	164.8614	890670.00	**5402.54**
गुलर	4.0551	18000.00			23.7918	136640.00	25.2325	128497.00	53.0794	283137.00	**5334.22**
एलेन्थस			8.8047	44500.0000	498.9065	4632076.00	2.6913	19600.00	510.4025	4696176.00	**9200.93**
ढाक					8.0699	53537.00	10.1049	28834.00	18.1748	82371.00	**4532.15**
गौजीना					2.8494	12600.00			2.8494	12600.00	**4421.98**
पुला					2.6912	16154.00			2.6912	16154.00	**6002.53**
बौरंग					3.0996	12222.00	7.2262	39200.00	10.3258	51422.00	**4979.95**
उतीस							0.4250	39962.00	0.4250	39962.00	**94028.24**
मलबरी	0.9187	2000.00	0.0928	200.00					1.0115	2200.00	**2174.99**
शहतूत									0.0000	0.00	**#DIV/0!**
पेपरमलबरी	9.8841	43600.00			254.3391	1537033.00	3.5409	12937.00	267.7641	1593570.00	**5951.40**
पौपलर	0.6960	5000.00	2.8981	21000.00	4387.4978	49699900.00	7.1017	78926.00	4398.1936	49804826.00	**11323.93**
योग	**355.3518**	**3151950.00**	**657.9706**	**5658194.00**	**22478.7531**	**206139844.00**	**12560.6876**	**90040099.00**	**36052.7631**	**304990087.00**	8459.55

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

D:\New Folder2022\All Letter\UNIYAL SIR\ROYALTY NIRDHARAN\Royalty Nirdharan 2024-25\Ryalti Nirdaran 2022-23

उत्तराखण्ड वन विकास निगम,देहरादून

वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में रायल्टी निर्धारण हेतु विक्रय किये गये कोमल काष्ठ का तुलनात्मक विवरण

प्रजाति	इकाई	2021–22		दर प्रति घ0मी0	2022–23		दर प्रति घ0मी0	वर्ष 2021–22 की तुलना में कमी/वृद्वि का प्रतिशत
		मात्रा	धनराशि		मात्रा	धनराशि		
हल्दू	घ0मी0	674.8818	7528125.41	11154.73	582.9945	7103509.00	12184.52	9.23
फल्दू	घ0मी0	120.6957	809753.75	6709.05	85.7029	784795.00	9157.16	36.49
कंजू	घ0मी0	13383.9324	107725431.50	8048.86	10340.7334	97602349.00	9438.63	17.27
सेमल	घ0मी0	7439.5567	42880018.33	5763.79	7163.0089	51124383.00	7137.28	23.83
गुटेल	घ0मी0	12033.7298	65546504.40	5446.90	9890.7908	66585467.00	6732.07	23.59
तुन	घ0मी0	1289.4517	17729757.25	13749.84	505.0970	8811058.00	17444.29	26.87
सीरस	घ0मी0	2682.8511	22493787.73	8384.28	1236.1776	10690635.00	8648.14	3.15
बाकुली	घ0मी0	305.8600	1565795.00	5119.32	185.2381	1187907.00	6412.87	25.27
बहेड़ा	घ0मी0	110.6667	419680.05	3792.29	116.8215	588109.00	5034.25	32.75
झींगन	घ0मी0	811.3833	3159144.51	3893.53	472.8863	2793275.00	5906.86	51.71
बरगद	घ0मी0	14.2454	41927.00	0.00	43.5334	245512.00	5639.62	-
खरपट	घ0मी0	217.6511	926639.25	4257.45	164.8614	890670.00	5402.54	26.90
गुलर	घ0मी0	203.2072	780655.00	3841.67	53.0794	283137.00	5334.22	38.85
एलेन्थस	घ0मी0	1547.2138	6138799.75	3967.65	510.4025	4696176.00	9200.93	131.90
ढाक	घ0मी0	255.4199	1586264.00	6210.42	18.1748	82371.00	4532.15	-27.02
गौजीना	घ0मी0	0.7182	2037.00	2836.26	2.8494	12600.00	4421.98	55.91
पूला	घ0मी0	83.5379	217476.00	2603.32	2.6912	16154.00	6002.53	130.57
बौरंग	घ0मी0	3.8000	7863.00	2069.21	10.3258	51422.00	4979.95	140.67
मरलबरी	घ0मी0	0.0000	0.00	0.00	1.0115	2200.00	2174.99	-
शहतूत		0.9456	2150.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	-
उतीस				0.00	0.4250	39962.00	94028.24	-
पेपरमलबरी	घ0मी0	227.7459	798832.00	3507.56	267.7641	1593570.00	5951.40	69.67
पौपलर	घ0मी0	6219.1387	133427826.00	21454.39	4398.1936	49804826.00	11323.93	-47.22
कुल योग		**47626.6329**	**413788466.93**	**8688.17**	**4398.1936**	**49804826.00**	**11323.93**	30.34
यूकेलिप्टस		35554.6321	247321465.89	6956.10	52150.7735	466700405.00	8949.06	28.65

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

UTTARAKHAND FOREST DEVELOPMENT CORPORATION DEHRADUN

Comparative Statement of Sale Price of Various Species Obtained for the Year 2021-22 & 2022-23

Circle - Kumaon

(Rupees per cubic meter)

S.N.	Species	Region	Unit	2021-22 Quantity	2021-22 Amount	Rate/cum.	2022-23 Quantity	2022-23 Amount	Rate/cum.	% Increase & Decrease Relative to Year 2021-22
1	Chir	Kumaon	Cum.	11709.0298	114040127.00		7304.9699	84711205.00		
		Western		37.5271	312801.00		4.7609	36350.00		
		Total		**11746.5569**	**114352928.00**	**9735.02**	**7309.7308**	**84747555.00**	**11593.80**	**19.09**
2	Deodar	Kumaon	Cum.	119.4140	3007493.00		475.2906	14845771.00		
		Western								
		Total		**119.4140**	**3007493.00**	**25185.43**	**475.2906**	**14845771.00**	**31235.15**	**24.02**
3	Kail	Kumaon	Cum.							
		Western								
		Total		**0.0000**	**0.00**	**#DIV/0!**	**0.0000**	**0.00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
4	Fir	Kumaon	Cum.							
		Western								
		Total		**0.0000**	**0.00**	**#DIV/0!**	**0.0000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5	Surai	Kumaon	Cum.	11.5562	124521.00		38.9553	435763.00		
		Western								
		Total		**11.5562**	**124521.00**	**10775.25**	**38.9553**	**435763.00**	**11186.23**	**3.81**
6	Gulia	Kumaon	Cum.				6.6308	102435.00		
		Western								
		Tehri		1167.2230	22261100.00		1252.7225	22067300.00		
		Garhwal								
		Total		**1167.2230**	**22261100.00**	**19071.85**	**1259.3533**	**22169735.00**	**17604.06**	**-7.70**

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

UTTARAKHAND FOREST DEVELOPMENT CORPORATION DEHRADUN

Comparative Statement of Sale Price of Various Species during the Year 2021-22 & 2022-23 (Circle - Western)

(Rupees per cubic meter)

S.N.	Species	Region	Unit	2021-22 Quantity	2021-22 Amount	Rate/cum.	2022-23 Quantity	2022-23 Amount	Rate/cum.	% Increase & Decrease Relative to Year 2021-22
1	Sal	Western		2173.0325	58708192.00		2286.7369	64375178.00		
		Kumaon		14960.7533	521602837.00		19349.8748	579138293.00		
		Total		**17133.7858**	**580311029.00**	**33869.40**	**21636.6117**	**643513471.00**	**29741.88**	-12.19
2	Sisham	Western	Cum.	5240.7933	103856394.98		2492.2157	58857257.00		
		Kumaon		4894.8769	110698218.99		4630.8361	118331140.00		
		Total		**10135.6702**	**214554613.97**	**21168.27**	**7123.0518**	**177188397.00**	**24875.35**	17.51
3	Sagon	Western	Cum.	17340.5230	583272821.83		22145.7168	762858252.00		
		Kumaon		56960.2596	1666186462.71		41894.1663	1592153076.00		
		Total		**74300.7826**	**2249459284.54**	**30275.04**	**64039.8831**	**2355011328.00**	**36774.14**	21.47
4	Jamun	Western	Cum.	135.3051	888286.50		270.2031	2210821.00		
		Kumaon		5683.6734	56780369.00		5943.1790	61815211.00		
		Total		**5818.9785**	**57668655.50**	**9910.44**	**6213.3821**	**64026032.00**	**10304.54**	3.98
5	Sandan	Western	Cum.	109.3988	1332194.00		3.8121	36336.00		
		Kumaon		1.6061	19800.00		8.5138	96850.00		
		Total		**111.0049**	**1351994.00**	**12179.59**	**12.3259**	**133186.00**	**10805.38**	-11.28
6	Asna/Sain	Western	Cum.	70.7287	699029.00		8.9416	111259.00		
		Kumaon		2202.3852	24685495.84		753.7877	10268835.00		
		Total		**2273.1139**	**25384524.84**	**11167.29**	**762.7293**	**10380094.00**	**13609.15**	21.87
7	Kokat	Western	Cum.	11600.7056	51488672.14		4761.4737	34395863.00		
		Kumaon		5512.5792	26091943.65		2721.8247	18684687.00		
		Total		**17113.2848**	**77580615.79**	**4533.36**	**7483.2984**	**53080550.00**	**7093.20**	56.47
8	Khair	Western	Cum.	12436.9068	542774496.00		14515.6718	704345817.00		
		Kumaon		5194.1760	252010881.80		8077.2429	417694669.00		
		Total		**17631.0828**	**794785377.80**	**45078.65**	**22592.9147**	**1122040486.00**	**49663.38**	10.17
9	Bamboo	Western	Scores							
		Kumaon								
		Total		0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
10	Bailb Grass	Western	Qtl							
		Kumaon								
		Total		0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

UTTARAKHAND FOREST DEVELOPMENT CORPORATION DEHRADUN
Comparative Statement of Sale Price of Various Species during Year 2021-22 & 2022-23
Circle - Yamuna, Bhagirathi& Garhwal (For Broad Leave of Lansdown)

(Rupees per cubic meter)

S.N.	Species	Region	Unit	2021-22 Quantity	2021-22 Amount	Rate/cum.	2022-23 Quantity	2022-23 Amount	Rate/cum.	% Increase & Decrease Relative to Year 2021-22
1	Chir	Tehri	Cum.	15833.5538	97740838.00		7809.7159	63746250.00		
		Garhwal		3159.1640	20288402.00		4383.4912	35890801.00		
	Total			**18992.7178**	**118029240.00**	**6214.45**	**12193.2071**	**99637051.00**	**8171.52**	**31.49**
2	Deodar	Tehri	Cum.	7024.6415	104580071.00		4023.2097	77074914.00		
		Garhwal		162.7407	2628940.00		42.3936	627400.00		
	Total			**7187.3822**	**107209011.00**	**14916.28**	**4065.6033**	**77702314.00**	**19112.12**	**28.13**
3	Kail	Tehri	Cum.	5596.0166	67181055.00		3734.3081	58268250.00		
		Garhwal		223.6639	2842650.00		345.6179	5065300.00		
	Total			**5819.6805**	**70023705.00**	**12032.22**	**4079.9260**	**63333550.00**	**15523.21**	**29.01**
4	Fir	Tehri	Cum.	22904.8163	184371819.00		12149.3266	120848450.00		
		Garhwal		1325.0106	9454300.00		2178.1262	23676900.00		
	Total			**24229.8269**	**193826119.00**	**7999.48**	**14327.4528**	**144525350.00**	**10087.30**	**26.10**
5	Surai	Tehri	Cum.	42.8674	296000.00		24.8366	242000.00		
		Garhwal		40.3690	279950.00		25.0205	201506.00		
	Total			**83.2364**	**575950.00**	**6919.45**	**49.8571**	**443506.00**	**8895.54**	**28.56**

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

UTTARAKHAND FOREST DEVELOPMENT CORPORATION DEHRADUN

Comparative Statement of Sale Price of Various Species during Year 2021-22 & 2022-23

Circle - Shivalik & Garhwal (For Broad Leave of Lansdown)

(Rupees per cubic meter)

S.N.	Species	Region	Unit	2021-22		Rate/cum.	2022-23		Rate/cum.	% Increase & Decrease Relative to Year 2021-22
				Quantity	Amount		Quantity	Amount		
1	Sal	Tehri	Cum.	7354.4172	167571311.00		11411.9315	283944564.00		
		Garhwal		1737.0148	22850141.00		1330.9711	20371642.00		
		Total		**9091.4320**	**190421452.00**	**20945.15**	**12742.9026**	**304316206.00**	**23881.23**	14.02
2	Sisham	Tehri	Cum.	333.4587	5516550.00		396.9629	7132950.00		
		Garhwal		888.3952	18115285.00		497.3013	9841661.00		
		Total		**1221.8539**	**23631835.00**	**19340.97**	**894.2642**	**16974611.00**	**18981.65**	-1.86
3	Sagon	Tehri	Cum.	443.4020	18674059.00		191.3020	7009150.00		
		Garhwal		417.5940	11039074.00		206.0258	6213612.00		
		Total		**860.9960**	**29713133.00**	**34510.19**	**397.3278**	**13222762.00**	**33279.23**	-3.57
4	Jamun	Tehri	Cum.	49.0656	312850.00		111.7989	892450.00		
		Garhwal		262.9134	1398407.00		297.2663	2384635.00		
		Total		**311.9790**	**1711257.00**	**5485.17**	**409.0652**	**3277085.00**	**8011.16**	46.05
5	Sandan	Tehri	Cum.	8.3858	87400.00		19.5638	178720.00		
		Garhwal		615.2192	6364328.00		1176.7004	11260100.00		
		Total		**623.6050**	**6451728.00**	**10345.86**	**1196.2642**	**11438820.00**	**9562.12**	-7.58
6	Asna/Sain	Tehri	Cum.	396.9650	6174960.00		737.5534	10272650.00		
		Garhwal		314.1305	3387885.00		311.2749	3378050.00		
		Total		**711.0955**	**9562845.00**	**13448.05**	**1048.8283**	**13650700.00**	**13015.19**	-3.22
7	Kokat	Tehri	Cum.	266.9975	1490500.00		251.5447	1690300.00		
		Garhwal		871.0992	4239132.00		837.8737	5423266.00		
		Total		**1138.0967**	**5729632.00**	**5034.40**	**1089.4184**	**7113566.00**	**6529.69**	29.70
8	Khair	Tehri	Cum.	325.3473	12160300.00		525.0603	21437770.00		
		Garhwal		2555.5037	108332300.00		1691.2971	55606800.00		
		Total		**2880.8510**	**120492600.00**	**41825.35**	**2216.3574**	**77044570.00**	**34761.80**	-16.89
9	Bamboo	Tehri	Scores				406.0000	48720.00		
		Garhwal								
		Total		**0.0000**	**0.00**	**0.00**	**406.0000**	**48720.00**	**120.00**	0.00
10	Aam	Tehri	Qtl.							
		Garhwal					29.9205	147300.00		
		Total		**0.0000**	**0.00**	**0.00**	**29.9205**	**147300.00**	**4923.05**	0.00

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

UTTARAKHAND FOREST DEVELOPMENT CORPORATION DEHRADUN

Comparative Statement of Sale Price of Various Species during the Year 2021-22 & 2022-23

(Rupees per cubic meter)

S.N.	Species	Unit	Western Circle		Difference %	Kumaon Circle		Difference %	Shivalik Garhwal Cricle		Difference %	Yamuna Bhagirathi Circle		Difference %
			2021-22	2022-23		2021-22	2022-23		2021-22	2022-23		2021-22	2022-23	
1	Sal	cum.	33869.40	29741.88	-12.19				20945.15	23881.23	14.02			
2	Sisham	cum.	21168.27	24875.35	17.51				19340.97	18981.65	-1.86			
3	Sagon	cum.	30275.04	36774.14	21.47				34510.19	33279.23	-3.57			
4	Asana	cum.	11167.29	13609.15	21.87				13448.05	13015.19	-3.22			
5	Jamun	cum.	9910.44	10304.54	3.98				5485.17	8011.16	46.05			
6	Kokat	cum.	4533.36	7093.20	56.47				5034.40	6529.69	29.70			
7	Khair	cum.	45078.65	49663.38	10.17				41825.35	34761.80	-16.89			
8	Sandan	cum.	12179.59	10805.38	-11.28				10345.86	9562.12	-7.58			
9	Chir	cum.				9735.02	11593.80	19.09				6214.45	8171.52	31.49
10	Deodar	cum.				25185.43	31235.15	24.02				14916.28	19112.12	28.13
11	Kail	cum.						0.00				12032.22	15523.21	29.01
12	Fir	cum.										7999.48	10087.30	26.10
13	Surai	cum.				10775.25	11186.23	3.81				6919.45	8895.54	28.56
14	Aam	cum.						0.00		4923.05	0.00			0.00

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक के आय/व्ययों का विवरण:–

मात्रा–हजार में धनराशि –लाख में

वित्तीय वर्ष	प्रजाति	वित्तीय वर्ष में बिक्री से प्राप्त कुल राजस्व	वित्तीय वर्ष में कुल आंगणित उत्पादन एवं वास्तविक उत्पादन का अंतर (+ व –)	वित्तीय वर्ष में प्रकाष्ठ व अन्य वन उपज के विदोहन, वृक्षारोपण व विभिन्न व्ययों में कुल व्यय		वित्तीय वर्ष में कार्मिकों के वेतन भत्तों, कार्यालय व्यय व अन्य मदों में कुल व्यय		योग	वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ/हानि	वित्तीय वर्ष में कुल भुगतान की गई रायल्टी	
				कुल व्यय	कॉलम–3 के सापेक्ष प्रतिशत	कुल व्यय	कॉलम–3 के सापेक्ष प्रतिशत			रायल्टी	कॉलम–3 के सापेक्ष प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	(5+7) 9	10	11	12
2018-19	प्रकाष्ठ आदि	43891.83	-11.749	26921.18	61.34%	20797.68	47.38%	47718.86	-3827.03	19849.06	45.22%
	उपखनिज	29563.9	-	19914.18	67.36%	4234.46	14.32%	24148.64	5415.26	11486.5	38.85%
	योग	**73455.73**	**-11.749**	**46835.36**	**63.76%**	**25032.14**	**34.08%**	**71867.5**	**1588.23**	**31335.56**	**42.66%**
2019-20	प्रकाष्ठ आदि	58295.695	-12.587	39916.027	68.47%	16398.783	28.13%	56314.81	1980.885	32395.075	55.57%
	उपखनिज	24446.592	-	13742.253	56.21%	3379.059	13.82%	17121.312	7325.28	8269.232	33.83%
	योग	**82742.287**	**-12.587**	**53658.28**	**64.85%**	**19777.842**	**23.90%**	**73436.122**	**9306.165**	**40664.307**	**49.15%**
2020-21	प्रकाष्ठ आदि	56952.089	-	41920.311	73.61%	18573.398	32.61%	60493.709	-1117.655	31242.89	54.86%
	उपखनिज	26210.267	-	16385.016	62.51%	3842.677	14.66%	20227.693	5982.574	10154.699	38.74%
	योग	**83162.356**	-	**58305.327**	**70.11%**	**22416.075**	**26.95%**	**80721.402**	**4864.919**	**41397.589**	**49.78%**
2021-22	प्रकाष्ठ आदि	63959.803	-	33668.741	52.64%	16332.376	25.54%	50001.117	4863.786	26570.776	41.54%
	उपखनिज	22355.857	-	13325.153	59.60%	4190.886	18.75%	17516.039	4839.818	11174.367	49.98%
	योग	**86315.66**	-	**46993.894**	**54.44%**	**20523.262**	**23.78%**	**67517.156**	**9703.604**	**37745.143**	**43.73%**
2022-23	प्रकाष्ठ आदि	70207.690	-	8165.316	11.63%	16948.135	24.14%	25113.451	11425.003	31841.406	45.35%
	उपखनिज	13149.638	-	1458.287	11.09%	4645.91	35.33%	6104.197	35.436	6931.459	52.71%
	योग	**83357.328**	-	**9623.603**	**11.54%**	**21594.045**	**25.91%**	**31217.648**	**11460.439**	**38772.865**	**46.51%**

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

संलग्नक-20

उत्तराखण्ड शासन

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3

संख्या– 507 /X–3–2013– 8(27)2010

देहरादूनः दिनांक– 26 जून, 2013

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड वन विकास निगम मुख्यालय, देहरादून
क्र.क. 5416
दिनांक 27/7/13

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड वन विकास निगम को आबंटित वन उपज की रॉयल्टी निर्धारण हेतु निम्न समिति गठन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड – अध्यक्ष
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम – सदस्य
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड – सदस्य
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन – सदस्य
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड – सदस्य
6. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड – सदस्य
7. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त/गढ़वाल वृत्त /शिवालिक वृत्त/उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड – सदस्य
8. मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन, उत्तराखण्ड – सदस्य
9. श्रीमती प्रतिभा पैन्यूली, संयुक्त सचिव, वित्त, उ0शासन – सदस्य
10. वित्त नियंत्रक – सदस्य
11. मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, उत्तराखण्ड – सदस्य सचिव

2– उक्त समिति उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये विगत 02 वर्षो के प्रजातिवार विक्रय मूल्य के आंकडों का परीक्षण कर आगामी वर्ष के लिए प्रजातिवार रॉयल्टी का निर्धारण करेगी।

3– समिति प्रत्येक वर्ष माह जून/जुलाई में रॉयल्टी निर्धारण हेतु बैठक आयोजित कर उसका कार्यवृत सम्बन्धितों एवं शासन को उपलब्ध करायेगी।

AO/ नियोजन

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव

D/2013/Karyalay Gyap

संलग्नक-21

संख्या–807 / x–3–2013,तददिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
7. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त / गढ़वाल वृत्त / शिवालिक वृत्त / उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड।
8. मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन, उत्तराखण्ड।
9. मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, उत्तराखण्ड
10. श्रीमती प्रतिभा पैन्यूली, संयुक्त सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
11. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
12. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
13. वित्त नियंत्रक, वन विभाग, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

D/2013/Karyalay Gyap

संलग्नक-22

संलग्नक : ५२ – यूकेलिप्टस रायल्टी

संख्या-४३७२/१४-२-६४-५००(४)

प्रेषक,

आर.एस.शुक्ला,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री चन्द्र गुप्त,
प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. वन निगम

वन अनुभाग-२

महोदय,

लखनऊ : दिनांक : २६-११-१९९४

यूकेलिप्टस प्रकाष्ठ के लिए वर्ष १९९१-९२ तथा वर्ष १९९२-९३ में निर्धारित मूल्य क्रमशः रु.११७२ तथा रु. १३२० में वन विभाग को देय रायल्टी के प्रतिशत निर्धारण का बिन्दु वन सचिव के सम्मुख दिनांक २९-९-९४ को आप द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दो वर्षों में यूकेलिप्टस के प्राप्त मूल्य का ५५ प्रतिशत अंश वन विभाग को देय रायल्टी का होगा। कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करें तथा तदनुसार भुगतान की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह०
(आर.एस. शुक्ला)
विशेष सचिव।

संख्या :३७९२(२)/१४-२-९७.३००(५१)/१९९७/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१- मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं नियोजन, उ.प्र., लखनऊ।
२- मुख्य वन संरक्षक, प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण, उ.प्र., नैनीताल।

ह०
(आर.एस. शुक्ला)
विशेष सचिव।

संलग्नक-23

संख्या-४८८८/१४-४-८३-१ (७)/७६

श्री बी.एन. चन्ना, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

में,

१- मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

२- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, बी-६३२, सैक्टर-बी, महानगर, लखनऊ।

३- अपर मुख्य वन संरक्षक (प्रबन्ध) उत्तर प्रदेश, नैनीताल।

लखनऊः दिनांकः २०, सितम्बर, १६८३

अनुभाग-(४)

विषय : उत्तर प्रदेश वननिगम से ली जानें वाली रायल्टी का पुनः निर्धारण।

दयं,

शासन की जानकारी में यह लाया गया कि उत्तर प्रदेश वन निगम को आवंटित समस्त पर्वतीय क्षेत्रों में वर्ष १६८१-८२ तथा कुछ य मैदानी क्षेत्रों में १६८२-८३ से शासनादेश संख्या -१०७५८/१४-१-७७, दिनांक २६ -६-१६७७ में इंगित प्रक्रिया के अनुसार रायल्टी निर्धारण नहीं किया जा सका है क्यों कि इन क्षेत्रों में वननिगम द्वारा विगत तीन वर्षों में पूर्ण क्षेत्र में कटान कार्य करने के कारण पिछले । वर्षो के नीलाम के आंकड़े प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं। यही स्थिति वर्ष १६८३-८४ उन सभी क्षेत्रों के लिये भी उत्पन्न होगी जहाँ र वन निगम वर्ष १६८२-८३ में कटान कार्यकर रहा है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम से जी जानें वाली ल्टी के फार्मूले के पुन निर्धारण पर विचार किया गया है।

इस मामले पर विचारोपरान्त एक नए फार्मूले के निर्धारण की आवश्यकता अनुभव की गई है। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या -११५७८/१४-१-७०-१ (७)/७६, दिनांक दिसम्बर ५, १६७८ के साथ गठित शासन के अर्द्धशासकीय पत्र सं. १०७५८/१४-१-७७, दिनांक २६ सितम्बर, १६७७ में निहित प्रक्रिया को निरस्त करते हुये राज्यपाल महोदय यह आदेश देते हैं कि इस शासनादेश के प्रस्तर -१ में इंगित क्षेत्रों एवं वर्ष १६८३-८४ तथा उसके अगले वर्षों के लिये उत्तर प्रदेश वन निगम से निम्नलिखित "फार्मूला" के अनुसार रायल्टी ली जाय :-

(१) पिछले सालकी रायल्टी में जोड़े

(२) पिछले वर्ष में निगम द्वारा बेचे गये प्रकाष्ठ भाव में जितनी प्रतिशत वृद्धि उससे पिछले वर्ष के मुकाबले हो उतनी ही वृद्धि पिछले वर्ष की निर्धारित रायल्टी में अतिरिक्त रायल्टी के रूप में जोड़े।

(३) निर्धारण वर्ष में प्रकाष्ठ के बाजार भाव में हुई असाधारण वृद्धि यदि कोई हों

आपसे अनुरोध है कि रायल्टी निर्धारण के सम्बन्ध में उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु वन विभाग तथा उ.प्र. वननिगम के सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निदेशित करने की कृपा करें।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जो उनके अशासकीय संख्या ई-८-२०८३/दस, दिनांक १४-६-८३ द्वारा प्राप्त हुई है, जारी किये जाते हैं।

भवदीय,
ह०/-
(बी.एन. चन्ना)
सचिव

ख्या - ४८८८ (१)/१४-४-८३-तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद को शासनादेश संख्या ११५७०/१४-१-७०(७)/७० दिनांक, ५ दिसंम्बर, १६७० के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
ह०/-
(बी.एन. चन्ना)
सचिव

संलग्नक-२४

संलग्नक : ५० – रायल्टी निर्धारण सूत्र

संख्या-२६७७/१४-४-८६-१ (७)/७६

प्रेषक :

श्री ओ.एन. वैद्, सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

१- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

२- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. वन निगम, महानगर, लखनऊ।

३- मुख्य वन संरक्षक, प्रबन्ध, अनुश्रवण एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, नैनीताल।

वन अनुभाग-४, लखनऊः दिनांक ३१, अक्टूबर, १६८६

विषय : उत्तर प्रदेश वन निगम से ली जाने वाली रायल्टी की नीति का संशोधन।

महोदय,

शासन के संज्ञान में लाया गया है कि उत्तर प्रदेश वन निगम को आवंटित वन उपज की रायल्टी अलग-अलग वन प्रभागों के लिए अलग-अलग दरों पर निर्धारित होने के कारण एक ही प्रजाति की रायल्टी दरों में बहुत भिन्नता होती है जबकि प्रकाष्ठ की गुणवत्ता लगभग समान होती है। उदाहरणस्वरूप, पर्वतीय क्षेत्र में कौनिफेरस प्रजाति तथा मैदानी क्षेत्र में चौड़ी पत्ती की प्रजाति में बहुत समानता है जबकि रायल्टी दर में एक प्रभाग से दूसरे प्रभाग में बहुत अन्तर है। मामलें पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त उ.प्र. वन निगम को आवंटित वन उपज की वर्तमान रायल्टी निर्धारण नीति में संशोधन किये जाने की आवश्यकता अनुभव की गई।

२- अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या ४८८८/१४-४-८३-१ (७)/७६, सितम्बर, १६८३ के आंशिक संशोधन में श्री राज्यपाल यह आदेश प्रदान करते हैं कि वर्ष १६८८-८६ तथा उससे अगले वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश वन निगम से निम्नलिखित प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रजातिवार, वर्ष १६८७-८८ की रायल्टी दर को आधार मानकर रायल्टी निर्धारित की जायः-

(क) १- यमुना, भागीरथी व गढ़वाल वृत (लैन्सडाउन वन प्रभाग के चौड़ी पत्ती वाले क्षेत्रों को छोड़कर)

२- कुमाँयू व प्रकाष्ठ सम्भरण वृत।

३- शिवालिक व गढ़वाल वृत के लैन्सडाउन वन प्रभाग के चौड़ी पत्ती वाले क्षेत्र।

४- पश्चिमी वृत

५- केन्द्रीय व पूर्वी वृत।

६- दक्षिणी व बुन्देलखण्ड वृत।

(ख) रायल्टी निर्धारण के समय ऋणात्मक मूल्य वृद्धि को भी हिसाब में लिया जाय।

३- उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु वन विभाग तथा उत्तर प्रदेश वन निगम के सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निदेशित किया जाय।

४- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से, जो उनके अशासकीय संख्या ई-८/२५४५/दस/८६, दिनांक १२.१०.१६८६ द्वारा प्राप्त हुई है, जारी किये जाते हैं।

भवदीय,

ह./-

(ओ.एन. वैद्)

सचिव

संख्या- २६७७ (१)/१४-४-८६, दिनांक।

१- प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को शासनादेश संख्या ४८८८/१४-४-८३-१ (७)/७६, दिनांक २०, सितम्बर, १६८३ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

२- प्रतिलिपि दिनांक १८.७.१६८६ की बैठक के कार्यवृत की एक प्रति सहित वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-८ को भी सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(एन.सी. बिल्डियाल)

विशेष सचिव

प्रेषक,

पत्र सं0:- 133/14-2-15-500141/1993

संलग्नक-25

श्री आर0एस0 शुक्ला,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 वन निगम,
लखनऊ।

लखनऊः दिनांक 27 मार्च 1995

विषयः- वर्ष 1993-94 में यूकेलिप्टस प्रकाष्ठ के आवंटन/मूल्य निधारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दिनांक 21.01.1995 को शीर्ष समिति की बैठक में दिये गये निर्देशानुसार वर्ष 1993-94 की अवधि में प्रदेश में उपलब्ध 1,15,000 घ0मी0 यूकेलिप्टस प्रकाष्ठ प्रदेश स्थित भारी एवं लघु ईकाईयों के बीच निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. यूकेलिप्टस प्रकाष्ठ की उपरोक्त मात्रा में से गत वर्षो की भांति ही 25 प्रतिशत प्रकाष्ठ आरक्षित रखते हुए शेष प्रकाष्ठ 44-44 हजार घ0मी0 क्रमशः सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर मिल, लालकुंआ और मैसर्स स्टार पेपर मिल, सहारनपुर की बीच बराबर के अनुपात में आंवटित किया जाए।
2. 25 प्रतिशत प्रकाष्ठ में से लघु इकाईयों जिन्हें पूर्व में 6,000 घ0मी0टन आवंटित किया जाता है। उनकी आवश्यकता के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त करके यदि प्रकाष्ठ की आवश्कता है गत वर्ष की भांति उन्हें 6,000 घ0मी0टन आवंटित किया जाए। अन्यथा इसका निस्तारण आदि के रूप में स्थानीय आवश्कता के आपूर्ति हेतु नीलामी द्वारा किया जाए।
3. आवंटन राशी पेपर मिलों से नियमानुसार 2-1/2 प्रतिशत जमानत ली जाए, जिसका समायोजन इकाईयों की ओर से कोई अनियमितता न होने पर सम्मिलित किया जाएगा। अनिमितियता निर्गत होने की तिथि से एक माह का समय जमानत आदि की औपचारिकताएं पूरी करने और प्रकाष्ठ उठाने हेतु तीन माह का समय अनुमन्य किया जाए।
4. पिछले वर्ष 1992-93 में स्टार पेपर मिल साहरनपुर को आवंटित 25,000 घ0मी0टन में से उठान हेतु अवशेष प्रकाष्ठ को दिनांक 31.03.1995 तक उठाने के लिए अवधि विस्तार दिया जाए।
5. प्रबन्ध निदेशक वन निगम द्वारा सूचित वर्ष 1992-93 का डिपो मे एकत्र लगभग 6,000 घ0मी0टन यूकेलिप्टस प्रकाष्ठ स्टार पेपर मिल को वर्ष 1992-93 की रू0 1320.00 (रूपये एक हजार तीन सौ बीस मात्र) घ0मी0टन की दर से आवंटित कर दिया जाए।
6. वर्ष 1993-94 के यूकेलिप्टस प्रकाष्ठ का मूल्य रूपये 1,410.00 (रू0 एक हजार चार सौ दस) प्रति घ0मी0टन निर्धारित किया जाता है। इस मूल्य में बिक्री कर व अन्य देय स्थानीय कर सम्मलित नहीं है। जो क्रेता द्वारा अलग से देय होंगे।
7. वन निगम यूकेलिप्टस से प्राप्त मूल्य का 55 प्रतिशत अंश वन विभाग को रायल्टी के रूप में देगा।

उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएः-

1. वन निगम उपलब्ध यूकेलिप्टस प्रकाष्ठ में से 50 प्रतिशत को बल्ली तथा चिरान के प्रकाष्ठ के साईजों में कटान करे, जिससे इस प्रकार की मोटी लकडियों का खुले बाजार में विक्रय किया जा सके। जिन क्षेत्रों में यूकेलिप्टस को कटाने का कार्य धीमी गति से चल रहा है उसके सम्बन्ध में वन निगम के सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा प्रगति विवरण से शासन को निरन्तर अवगत कराया जाए।
2. वर्ष 1994-95 में यूकेलिप्टस प्रकाष्ठ के आवंटन/मूल्य निर्धारण का प्रस्ताव भी शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाएं।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0
आर0एस0 शुक्ला,
विशेष सचिव

..........2

संलग्नक-27

<u>वन विभाग द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम से देय रायल्टी दर संशोधन विषयक</u>

<u>संक्षिप्त नोटः–</u>

उत्तरांचल राज्य के गठन के पश्चात 01 अप्रैल 2001 को उत्तराखण्ड वन विकास निगम का गठन किया गया। वर्ष 2012–13 तक रायल्टी का निर्धारण उत्तर प्रदेश वन निगम के शासनादेशों के अनुरूप किया जाता रहा। तत्पश्चात **उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग–03 के पत्रांक–507/X–3–2013–8(27)2010 दिनांक 26.06.2013 से निम्नानुसार निहित प्रक्रियानुसार रायल्टी निर्धारण किया जा रहा है।**

1. इस शासनादेश के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता में रायल्टी निर्धारण हेतु समिति का गठन किया गया।
2. उक्त समिति उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये विगत 02 वर्षों के प्रजातिवार विक्रय मूल्य के आंकडों का परीक्षण कर आगामी वर्ष के लिए प्रजातिवार रायल्टी का निर्धारण करेगी।
3. समिति प्रत्येक वर्ष माह जून/जुलाई में रायल्टी निर्धारण हेतु बैठक आयोजित कर उसका कार्यवृत्त सम्बन्धितों एवं शासन को उपलब्ध करायेगी।

उत्तराखण्ड के उक्त शासनादेश दिनांक 26.06.2013 में रायल्टी निर्धारण की प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश शासन के वन अनुभाग–4 के पत्र संख्या–4888/14–4–4–83–1(7)/76, दिनांक 20.09.1983 एवं पत्र संख्या–2977/ 14–4–4–83–1(7)/76, दिनांक 31.10.1989 में निहित प्रक्रिया के अनुसार ही रायल्टी निर्धारण किया जा रहा है।

वर्तमान में वन विकास निगम को वन विभाग द्वारा आवंटित लौटें सामान्यतः रूग्ण, सूखे उखड़े वृक्षों की आवंटन की जाती है जिसमें सभी प्रजातियों में श्रेणी–01 की मात्रा या तो शून्य है या 05% से कम है। अधिकांश मात्रा निम्न श्रेणी की है। **जबकि वर्ष 1977 में उत्तर प्रदेश के रायल्टी निर्धारण के उक्त फार्मूले के समय उत्तर प्रदेश वन निगम को आंवटित किये जाने वाले वृक्ष हरे खडे वृक्षों की लौटें होती थी, जिसमें उस समय नीलाम प्रक्रिया में प्राप्त विक्रय दर को रायल्टी के लिए आधार बनाया गया।**

वर्ष 2001 से उत्तराखण्ड वन विकास निगम को काबिल एवं हरे वृक्षों से उत्पादित होने वाला **श्रेणी–1 का प्रकाष्ठ नगण्य मात्रा में प्राप्त हो रहा है। प्रजातियों के आधार पर प्राप्त विक्रय मूल्य निम्न श्रेणियों के प्रकाष्ठ का प्राप्त मूल्य है,** जो वर्ष 1977 के समयावधि में हरे वृक्षों के कटान से प्राप्त रायल्टी दरें वर्तमान में सूखे, गिरे वृक्षों के कटान से प्राप्त विक्रय दरों से अधिक हो गयी हैं।

कतिपय प्रजातियों में ही वर्तमान रायल्टी दर औसत बाजार मूल्य के काफी अधिक है, जिससे वन विकास निगम को निरन्तर हानि हो रही है। **ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग– 03 के पत्रांक–507/X–3–2013–8 (27)2010 दिनांक 26.06.2013 के अनुसार रायल्टी निर्धारण की प्रक्रिया में बदलाव किया जाय।** *यहाँ पर यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि अपर प्रमुख वन संरक्षक, (का0यो0) उत्तराखण्ड, हल्द्वानी की पत्र संख्या–795/9–1/दिनांक 23.06.2015 द्वारा रायल्टी निर्धारण की बैठक के जारी कार्यवृत्त में भी रायल्टी निर्धारण की प्रक्रिया में बदलाव किये जाने की पुष्टि होती है। इस कार्यवृत्त में यह उल्लेख किया गया कि सरकार द्वारा ली जाने वाली रायल्टी प्रकाष्ठ के विक्रय मूल्य से अधिक कई सालों तक नही रखी जा सकती है, क्योंकि ऐसा करने से वन विकास निगम हानि पर चला जायेगा।*

संलग्नक-28

रॉयल्टी निर्धारण के संबंध में प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 31.10.2014 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति :–

1. श्री श्रीकान्त चन्दोला, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
2. श्री एस.टी.एस.लेप्चा, अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड।
3. श्री ए0आर0 सिन्हा अपर प्रमुख वन संरक्षक (कार्य योजना)।
4. श्री वी0के0 पांगती, महाप्रबन्धक (उत्पादन), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
5. श्री एम.एस. पाल, क्षेत्रीय प्रबन्धक, टिहरी क्षेत्र।
6. श्री मनोज चन्द्रन, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा बैठक आयोजित किये जाने के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। बैठक में रॉयल्टी निर्धारण के संबंध में विस्तृत विचार–विमर्श हुआ और निम्न निर्णय लिए गयेः–

1. पश्चिमी वृत्त के अंतर्गत खटीमा एवं सुरई क्षेत्र के प्रकाष्ठ की रॉयल्टी दरों को पश्चमी वृत्त के शेष क्षेत्रों की रॉयल्टी दरों में एकरूपता लाने हेतु यह निर्णय लिया गया कि दोनों क्षेत्रों के कुल प्रकाष्ठ उत्पादन के आधार पर वर्तमान रॉयल्टी दरों का weighted average लेते हुए रॉयल्टी निर्धारण समिति के माध्यम से नियमानुसार रॉयल्टी निर्धारित कर शासन को सूचित किया जाय।

   (कार्यवाही–रॉयल्टी निर्धारण समिति, वन विभाग)

2. वन निगम के माध्यम से वृक्षों के पातन हेतु छपान व्यय हेतु बजट की समय से अनुपलब्धता तथा छपान कार्य समान्यतः मार्च–अप्रैल महीनों में जो दो वित्तीय वर्षों में अदिच्छादी होने के कारण यह निर्णय लिया गया कि संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी को छपान कार्य हेतु आवश्यक धनराशि उत्तराखण्ड वन विकास निगम से अग्रिम के रूप में प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाय, जो विभागीय बजट उपलब्ध होने पर अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम को एक मुश्त वापस कर देगा, जिसके लिए आवश्यक शासनादेश निर्गत किया जाय। इस निर्णय पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई।

   (कार्यवाही–शासन का वन अनुभाग–3)

3. विकास कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण होने पर प्रभावित वृक्षों के उत्तराखण्ड वन विकास निगम के माध्यम से पातन हेतु समस्त व्यय (पातन व्यय, विद्युत विभाग को बिजली कटौती व तार हटाने हेतु व्यय एवं अन्य नागरिक सेवाओं आदि के लिए) याचक विभाग द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम को उपलब्ध कराया जायेगा। इसे एक शर्त के रूप में वन भूमि हस्तान्तरण के शासनादेश में सम्मिलित किया जाय।

   (कार्यवाही–शासन का वन अनुभाग–4)

अंत में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(डॉ0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव

......2

D/F-3/karyavrit/2014

संलग्नक-20

(2)

उत्तराखण्ड शासन

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3

संख्याः– /X-3-14-08(27)/2010

देहरादूनः दिनांकः– 11 नवम्बर, 2014

संख्या– 1314 /X–3–14/तददिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री श्रीकान्त चन्दोला, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
2. श्री एस.टी.एस.लेप्चा, अपर प्रमुख वन संरक्षक (नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन)।
3. श्री ए0आर0 सिन्हा अपर प्रमुख वन संरक्षक (कार्य योजना)।
4. श्री वी0के0 पांगती, महाप्रबन्धक (उत्पादन), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
5. श्री एम.एस. पाल, क्षेत्रीय प्रबन्धक, टिहरी क्षेत्र।

आज्ञा से,

(विवेक कुमार जैन)
अनु सचिव

aryavrit/2014